न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व रायसिंहनगर
[illegible]सीन अधिकारी :— अर्पिता सोनी आर.ए.एस.

[illegible] 134/2015
[illegible]एमएस : 2015/00642

1. दर्शन सिंह पुत्र सरवण सिंह जाति जटसिख निवासी 8 टीके रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज0
2. गुरचरण सिंह पुत्र सरवण सिंह जाति जटसिख निवासी 8 टीके रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज0
3. सरजीत सिंह पुत्र गजों सिंह जाति जटसिख निवासी 8 टीके रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज0
4. गुरजन्ट पुत्र गजों सिंह जाति जटसिख निवासी 8 टीके रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज0
5. मिटन सिंह पुत्र गजों सिंह जाति जटसिख निवासी 8 टीके रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज0

—वादीगण—

बनाम

1. महेन्द्रप्रताप सिंह पुत्र रामदेव जाति ब्राह्मण निवासी 8 टीके तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज0
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर —प्रतिवादीगण—

अन्तर्गत धारा 88—92ए—209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :—

1. श्री सुभाषचन्द्र बिश्नोई, वकील वादी
2. एकपक्षीय, प्रतिवादी सं. 1
3. राजपैरोकार

—: निर्णय :—

दिनांक : 08.03.2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने दावा पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चक 8 टीके तहसील रायसिंहनगर का मु.नं. 11 के कि.नं. 22 में 0.152है. कि.नं. 23 में 0.076है. कुल 0.228है. मु.नं. 48 प.नं. 185/307 के कि.नं. 1, 10, 11, 20, 21, 22, 23/1 में कुल 1.581है. नहरी मय खाला एवं मु.नं. 53 प.नं. 182/308 के कि.नं. 1 से 5 एवं 6/1 में कुल 1.455 है. नहरी उपरोक्तानुसार कुल 3.264है. नहरी बारानी मय खाला(वर्तमान जमाबंदी संवत 2071-2074 के खाता सं. 103 अनुसार) एवं जमाबंदी खाता सं. 44 में दर्ज मु.नं. 51 की 188 बिस्वा यानि 9 बीघा 8 बिस्वा नहरी भूमि वादीगण के पूर्वजों के कब्जा काश्त में तथा उनके देहान्त उपरान्त वादीगण के कब्जा काश्त में सन 1956 से लगातार चली आ रही है, व वादीगण का कब्जा निरन्तर निर्बाध रूप शांतिपूर्वक चला आ रहा है। चक 8 टीके का वर्तमान मु.नं. 48 पुराना मु.नं. 50 एवं वर्तमान मु.नं. 53 पुराना मु.नं. 55 एवं वर्तमान मु.नं. 51 पुराना मु.नं. 53 है। उपरोक्त भूमि की सन 1962 से मामला भी हमारे द्वारा अदा किया जा रहा है पानी की पर्ची/वाराबंदी भी हम वादीगण के नाम से चली आ रही है व सन 2000 से शुद्धकार खसरा गिरदावरी भी हमारे ही नाम से चली आ रही है। उपरोक्त रकबा चूंकि राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी सं. 1 के नाम से दर्ज चला आ रहा है लेकिन उपरोक्त रकबा के किसी भी भाग पर प्रतिवादी सं. 1 का कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है तथा न ही वर्तमान में कब्जा [illegible] भाग से वादीगण काश्त है उपरोक्त रकबा पर सन 1956 से लेकर [illegible] शांतिपूर्वक निर्बाध रूप से के पूर्वजों का व उनके देहान्त उपरान्त वादीगण का कब्जा [illegible] के उपयोग चला आ रहा है वर्तमान में वादीगण द्वारा [illegible] है, वादीगण उपयोग वादीगण ही करते आ रहे हैं। वादीगण [illegible] है जो प्रतिवादी सं. उपरोक्त रकबा के प्रतिकूल कब्जा धारी है तथा वादीगण [illegible] लगातार चला आ रहा [illegible] प्रतिवादी सं. 1 की भी के ज्ञान अनुसार 1956 से लेकर अब तक लगातार चला आ रहा [illegible] उपरोक्त रकबा पर प्रतिवादी सं. 1 कोई हक एवं अधिकार [illegible] सहमति एवं स्वीकृति रही है। इसलिए उपरोक्त रकबा पर प्रतिवादी [illegible] हक एवं अधिकार वादीगण के पास लगातार कब्जा भूमि खातेदारी नहीं रह गये हैं। तथा उपरोक्त हक एवं अधिकार [illegible] प्रतिकूल कब्जा धारी होने की वजह से वादीगण उपरोक्त रकबा पर चला आने के कारण व वादीगण प्रतिकूल

अर्पिता
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2021.05.31 12:40:18 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

का हक एवं हिस्सा घोषित करवाकर खातेदारी दर्ज करवाने के अधिकारी हैं। प्रतिवादी सं. 1 को उपरोक्त रकबा वादीगण के नाम से राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज करवाने के लिए वादीगण का सहयोग करने के लिए कई बार कहा लेकिन प्रतिवादी सं. 1 प्रथमतः टालमटोल के पश्चात दिनांक 01.09.2015 को बमुकाम 8 टीके में इनकार हो गया व धमकी दी कि उपरोक्त रकबा किसी अन्य को हस्तान्तरण रहन व बैय आदि कर उपरोक्त रकबा से वादीगण को बेदख व वंचित करेगा। अतः वाद पत्र वादीगण स्वीकार कर चक 8 टीके तहसील रायसिंहनगर का मु.नं. 11 के कि.नं. 22 में 0.152है., कि.नं. 23 के 0.076है. कुल 0.228है. बारानी मु.नं. 48 प.नं. 185/307 के कि.नं. 1, 10, 11, 20, 21, 22, 23/1 में कुल 1.581है. नहरी मय खाला एवं मु.नं. 53 प.नं. 182/308 के कि.नं. 1 ता 5 एवं 6/1 में कुल 1.455 है. नहरी उपरोक्तानुसार कुल 3.264है. नहरी बारानी मय खाला (जमाबंदी संवत 2071–2074 के खाता सं. 103 अनुसार) एवं जमाबंदी खाता सं. 44 में दर्ज मु.नं. 51 की 186 हिस्सा यानि 9 बीघा 6 बिस्वा नहरी भूमि के प्रतिकूल कब्जाधारी होने के कारण उपरोक्त भूमि पर वादीगण का हक एवं हिस्सा घोषित कर खातेदार टिनेन्ट घोषित फरमाने एवं स्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादी सं. 1 कि प्रति. सं. 1 स्वयं या उनका कोई हितबद्ध व्यक्ति या पश्चातवर्ती व्यक्ति किसी प्रकार की मदाखलत बेजा करने व उक्त रकबा के किसी प्रकार से किसी अन्य को हस्तान्तरण रहन व बैय आदि करने से बाज व ममनु रहे व पानी बारी में किसी प्रकार का व्यवधान पैदा नहीं करें व ऐसा कोई कृत्य नहीं करे जिससे वादीगण उपरोक्त रकबा से बेदखल व वंचित होते हो, पारित किये जाने की डिक्री पारित करने हेतु निवेदन किया।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। दिनांक 25.10.2016 को एकतरफा कार्यवाही की गयी। जवाब सरकार पेश हुआ। प्रकरण में निम्न प्रकार से तनकीयात कायम की गयी–

1. आया कि विवादित की चक 8 टीके के मु.नं. 11, 48, 53 इस प्रकार कुल 3.264है. विवादित भूमि पर सन 1992 से लगातार कब्जा हैं ? –वादी
2. आया कि वादीगण का उक्त विवादित भूमि पर सन 1956 से लगातार बुजुर्गों के मार्ग पर प्रतिकूल कब्जा एवं एडवर्स पोजेशन प्रतिवादी सं. 1 के ज्ञान अनुसार व इसकी मौन सहमति एवं स्वीकृति रही हैं। इसलिए प्रतिवादी सं. 1 का हक एवं खातेदारी अधिकारी नहीं रह गये है, इसलिए लगातार वादीगण का कब्जा होने के कारण वादीगण उपरोक्त रकबा पर हक एवं हिस्सा घोषित करवाकर खातेदारी दर्ज करवाने के अधिकारी है, इसी अनुसार हक एवं हिस्सा घोषित किया जाकर खातेदार घोषित किये जाने की डिक्री वादीगण के पक्ष में पारित की जानी न्यायोचित है ? –वादी
3. आया कि वादीगण का सन 1992 से मामला पानी की पर्ची बाराबंदी व शुदगार गिरदावरी वादीगण के नाम होने से व भूमि धारक के रूप में प्रतिकूल कब्जा होने से विवादित भूमि का वादीगण का हक एवं हिस्सा घोषित कर खातेदार टिनेंट घोषित किया जावे ? –वादी
4. यह घोषित किया जावे कि वादीगण के कब्जा काश्त में मदाखलत बेजा न करें ? –वादी

उक्त तनकी सं. 1 ता 4 को सिद्ध करने का भार वादीगण पर रखा गया। वादीगण की ओर से साक्ष्य में शपथ पत्र गुरजन्ट सिंह, गुरचरण सिंह, दर्शन सिंह, सरजीत सिंह, गिटन सिंह का पेश किया। जिन पर जिरह पूर्ण की गयी एवं दस्तावेज प्रदर्श किये गये।

बहस सुनी गयी। वकील वादीगण ने अपनी बहस में वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रतिवादी सं. 1 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी हैं। विवादित भूमि पर प्रतिवादी सं. 1 का कभी कब्जा नहीं रहा है। परन्तु भूमि राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी सं. 1 के नाम से दर्ज हैं। सन 1956 से लेकर आज तक वादीगण के पूर्वज के समय से वादीगण के पूर्वजों का व उनके देहान्त उपरान्त वादीगण का कब्जा काश्त लगातार शांतिपूर्व निर्बाध रूप से चला आ रहा है। जिसमें प्रतिवादी सं. 1 की सहमति रही हैं। वादीगण उपरोक्त रकबा के प्रतिकूल कब्जाधारी है तथा वादीगण का एडवर्स पोजेशन है। विवादित भूमि पर प्रतिवादी सं. 1 का कोई हक एवं अधिकार नहीं रह गया हैं। अतः [illegible] वादी प्रतिकूल कब्जा के आधार पर बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री फरमाकर वादी को विवादित भूमि [illegible] करने एवं स्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादी पारित करने हेतु निवेदन किया।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का [illegible] किया। [illegible] तनकी सं. 1 ता 4 को सिद्ध करने का भार वादीगण पर था। वादीगण द्वारा प्रस्तुत [illegible] 2071–2074 चक 8 टीके खाता सं. 103 के मु.नं. 11–48–53 [illegible] वल्द रामदेव कौम ब्राहमण सा. देह खातेदार दर्ज हैं। तथा प्रदर्श–2 जमाबंदी संवत 2071–2074 चक 8 टीके खाता सं. 44 के मु.नं. 51 की कुल 3.201है. नहरी भूमि में महेन्द्रप्रत[illegible] रामदेव 186 हिस्सा संयुक्त खाता में दर्ज हैं। प्रदर्श 3 ता 9 में अधिकाशं दस्तावेज सिंचाई विभाग से संबंधित हैं यथा शुद्धकार खसरा सिंचाई एवं सिंचाई कर रसीद आदि। वादी दर्शन सिंह ने जिरह में ब्यान किया हैं कि "मैं महेन्द्रप्रताप

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2021.05.31 12:40:18 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

जानता हूं। महेन्द्र प्रताप सिंह जीवित हैं। जो 1–1½ वर्ष से गांव छोड गया हैं। मुझे मालूम है महेन्द्र प्रताप ने मेरे पिता को जमीन बेचने की बात हुई थी। पैसे लेन देन का मुझे ज्ञान नहीं है, कि महेन्द्र प्रताप ने सभी प्राप्त कर लिये थे। ईकरारनामा हुआ हो, ऐसा मुझे ज्ञात नहीं हैं। मेरी उम्र से ही भूमि पर कब्जा सन 1960 से चला आ रहा है, साक्ष्य में पानी पर्ची आदि हैं। प्रतिवादी के विश्वास पर दावा पेश नहीं किया।" वादी गुरजन्ट सिंह ने जिरह में ब्यान किया हैं कि " भूमि महेन्द्र प्रताप के नाम दर्ज हैं। महेन्द्र प्रताप के पिता का नाम मुझे ज्ञात नहीं हैं। हमारे पास महेन्द्र प्रताप की 22 बीघा भूमि हैं। उक्त भूमि पर हमारा 60 वर्ष से कब्जा हैं। कब्जे के साक्ष्य के रूप हाई कोर्ट से हमारे पक्ष में हुआ फैसला पेश किया हैं। उक्त भूमि पर हमारा कब्जा इकरारनामा के आधार पर हैं। जो 60 वर्षों से हैं। हमने रजिस्ट्री करवाने बाबत 5–6 बार पंचायते की जिस कारण इतना समय व्यतीत हुआ। रजिस्ट्री करवाने के बारे में स्पष्ट इंकार कब किया मुझे जानकारी नहीं हैं। अज खुद कहा कि महेन्द्रप्रताप रजिस्ट्री करवाने की बात पर टालमटोल करता हैं। महेन्द्र प्रताप ने हमें कोई धमकी नहीं दी। पुनर्परीक्षण में ब्यान किया कि हाईकोर्ट क्या होती है, यह मै नहीं जानता। यह बात सही हैं कि हम कब्जे के आधार पर बैठे हैं।" वादी सरजीत सिंह ने अपनी जिरह में ब्यान किया हैं कि " जो जमीन हम अपने नाम करवाना चाहते हैं वह हमने महेनद्र प्रताप से 60–65 वर्ष पूर्व खरीदी। मेरे पिता ने महेनद्र प्रताप से भूमि खरीदी। भूमि कितनी राशी में खरीदी जानकारी नहीं हैं। 60 वर्ष से भूमि पर हमारा कब्जा हैं। हमारे पिताजी ने सारे पैसे दे दिए थे, इसके उपरान्त की रजिस्ट्री नहीं करवाई। 4–5 वर्ष पहले इंकार कर दिया। महेन्द्र प्रताप के विश्वास पर न ही इकरारनामा किया एवं ना ही दावा किया। महेन्द्र प्रताप ने उक्त भूमि बेचने की हमें कोई धमकी नहीं दी।". वादी गिटन सिंह ने अपनी जिरह में ब्यान किया हैं कि "शपथ पत्र मैंने जमीन के इंतकाल के लिए लिखाया हैं। भूमि का विवाद हैं। इसलिए शपथ पत्र न्यायालय में पेश किया हैं। पैसे ले लिए लेकिन भूमि की रजिस्ट्री नहीं करवायी। पैसे महेन्द्र प्रताप ने लिए। कितनी रकम दी गयी मुझे जानकारी नहीं हैं। भूमि कब खरीदी मुझे जानकारी नहीं हैं। भूमि मेरे पिता द्वारा महेन्द्र प्रताप से खरीदी गई।" अतः इसके अवलोकन से स्पष्ट हैं कि वादीगण द्वारा दावा एडवर्स पोजेशन के आधार पर दायर किया गया हैं परन्तु वादीगण ने जिरह में भूमि उनकी जरिए इकरारनामा खरीदशुदा होना स्वीकार किया हैं। अतः यदि वादीगण किसी प्रकार का अनुतोष चाहते थे तो वह इकरारनामा/बैयनामा के आधार पर दावा पेश कर सकते थे। वादीगण द्वारा अपने दावा में किसी प्रकार के ईकरारनामा एंव वैयनामा की प्रति पेश नहीं की हैं। वादी द्वारा विवादित भूमि में सह काश्तकारों को दावा में पक्षकार नहीं बनाया हैं। माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान जोधपुर द्वारा तारा एवं अन्य बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान आदि निर्णय दिनांक 15.07.2015 द्वारा अनेकों प्रकरणों का एक साथ निर्णय कर आदेश पारित किये हैं कि **"No person can acquire right by adverse possession in the lands which were resumed or are in the tenancy of the tenants as khatedars."** ऐसी स्थिति में केवल एडवर्स पोजेशन के आधार पर वादीगण को प्रतिवादी सं. 1 की खातेदारी भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो जाते हैं। अतः इन तनकी का निर्णय विरुद्ध वादीगण किया जाता हैं।

लिहाजा उक्त विवेचन के आधार पर वादपत्र वादीगण खारिज किया जाता हैं। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 08.03.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अर्पिता सोनी)
उपखण्ड अधिकारी, राजस्व
रायसिंहनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2021.05.31 12:40:18 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आदेश 20 रूल 6–7 जाब्ता : दीवानी)

C/VIL PROCEDURE CODE APPENDIX D-1

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी(राजस्व) मुकाम रायसिंहनगर
बईजलास : अर्पिता सोनी आर.ए.एस.

वाद सं. 134/2015
टीसीएमएस : 2015/00642

1. दर्शन सिंह पुत्र सरवण सिंह जाति जटसिख निवासी 8 टीके रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज0
2. गुरचरण सिंह पुत्र सरवण सिंह जाति जटसिख निवासी 8 टीके रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज0
3. सरजीत सिंह पुत्र गर्जा सिंह जाति जटसिख निवासी 8 टीके रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज0
4. गुरजन्ट पुत्र गर्जा सिंह जाति जटसिख निवासी 8 टीके रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज0
5. गिटन सिंह पुत्र गर्जा सिंह जाति जटसिख निवासी 8 टीके रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज0

—वादीगण

बनाम

1. महेन्द्रप्रताप सिंह पुत्र रामदेव जाति ब्राहमण निवासी 8 टीके तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज0
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर

—प्रतिवादीगण

<u>अन्तर्गत धारा 88–92ए–209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

—: निर्णय :—

दिनांकः—08.03.2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई बरूबरू हमारे बहाजरी श्री सुभाष बिश्नोई अधिवक्ता वादीगण, राजपैरोकार पेश होकर हुकम दिया जाता है एवं डिक्री की जाती है किः—

" वादपत्र वादीगण खारिज किया जाता हैं। "

डिक्री आज दिनांक 08.03.2021 को जारी की गई।

(अर्पिता सोनी)
उपखण्ड अधिकारी राजस्व
रायसिंहनगर

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2021.05.31 12:40:18 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner